

डाकघर से संबंधित प्रपत्र

डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। विभाग के शीर्षस्थ प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं छह सदस्यों हैं। बोर्ड के छह सदस्यों के कार्यक्षेत्र क्रमशः कार्मिक, प्रचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना है। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित हैं। निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी बोर्ड के सचिव के रूप में बोर्ड की सहायता करते हैं। उप महानिदेशकगण, निदेशकगण एवं सहायक महानिदेशक मुख्यालय में बोर्ड को आवश्यक प्रकार्यात्मक सहायता उपलब्ध कराते हैं।

* डाकघर नेटवर्क

भारत विश्व में 1,55,015 डाकघरों के साथ सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार) जिसमें से 1,39,144 (89.76) डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यातः शहरी क्षेत्रों में थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात् से इस नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है और यह विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। औसतन एक डाकघर 21.21 वर्ग किमी के क्षेत्र तथा 7.175 की जनसंख्या को सेवाप्रदान करता है।

* हमारा लक्ष्य

देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को महसूस करते हुए दुनिया में अपनी सबसे बड़ी डाक नेटवर्क की स्थिति को बनाये रखना।

मेल, पार्सल, धन-हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा और खुदरा सेवाओं को तेजी और विश्वसनीयता के साथ मुहैया कराना।

धन के मूल्य के आधार पर ग्राहकों को सेवा मुहैया कराना।

यह सुनिश्चित करना की कर्मचारियों को हमारी मुख्य शक्ति होने पर गर्व महसूस हो और ग्राहकों की सेवा मानव स्पर्शता के साथ कर सकें।

सामाजिक सेवा सुरक्षा को जारी रखना और भारत सरकार के मंच के रूप में अपने आपको अंतिम मील के रूप में सक्षम रखना।

* डाकघर बचत योजनाएँ :

डाकघर बचत खाता

5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता

डाकघर सावधि जमा खाते

डाकघर मासिक आय खाता योजना

15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

* मूल्य देय डाक :

मूल्या देय प्रणाली का डिजाइन उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है जो उनको भेजे सामान या बिलों या उनसे संबंधित रेलवे रसीदों का भुगतान उनके प्राप्त होने पर करना चाहते हैं तथा यह उन व्यावसायियों तथा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता को भी पूरा करती है जो उनके द्वारा आपूर्ति

की गई वस्तुओं के मूल्य को डाकघर की एजेंसी माध्यम से वसूल करना चाहते हैं।

* मूल्यदेय मर्दे :

रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्ट्रड पत्र, रजिस्टर्ड बुक पैकेट तथा रजिस्ट्रेशन शुल्कके साथ, समाचार पत्रों के लिए निर्धारित डाक व्यवसय का पूर्व भुगतान हुए समाचार पत्रों को मूल्य देय डाक के रूप में अन्तर्देशीय डाक से परिक्षण किया जा सकता है बशर्ते कि प्रेषित होने वाली ऐसी किसी भी डाक सामग्री पर प्रेषक का प्रेषित धन 5000/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिए तथा बशर्ते कि ऐसे पार्सल, पत्र तथा पैकेटों में कूपन, टिकटें, माल की बिक्री के लिए तैयार किए गए परिचय पत्र जिन्हें कि 'स्त्रो बाल प्रणाली' कहा जाता है, नहीं होना चाहिए।

* घोषणा :

ऊपर बताई गई ऐसी कोई डाक सामग्री मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषण के लिए किसी भी डाकघर में स्वीकृत नहीं की जाएगी, जब तक कि भेजने वाला यह घोषित नहीं करता कि ऐसा वह उसे प्राप्त प्रामाणिक आदेशों के निष्पादन के अनुसार भेज रहा है। इसके अतिरिक्त भेजने वाले को, महानिर्दशक द्वारा इस ओर से समय-समय पर अधिसूचित डाकघरों में, यह घोषणा देनी होगी कि भेजी जानेवाली सामग्री की प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसे मूल्य देय सामग्री के रूप में डाक द्वारा प्रेषित करना अनुमेय है। ऊपर बताई गई कोई भी डाक सामग्री ऐसे कार्यालय में इस प्रकार की घोषणा के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : कोई भी सामग्री मूल्य देय डाक द्वारा भेजी जा सकती है, भले ही उसका कोई तात्त्विक मूल्य न हो। अतः वैधानिक दस्तावेज, बांड, बीमा की पालिसिया, वचनपत्र, रेलवे के सामान तथा पार्सल की रसीदें, लीडिंग बिल या वसूली के साधारण बिलों को मूल्य, देय डाक सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है। मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषित रेलवे लीडिंग बिल की रसीद के मामले में इस नियम के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा यदि वह सामग्री जिससे कि रेलवे लीडिंगबिल की रसीद संबंधित है, उसे वास्तविक आदेशों के निष्पादन के अंतर्गत भेजा गया है। अन्य उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में, दस्तावेज को भेजने के वास्तविक आदेशों का निष्पादन करते हुए भेजा जाए।

डाकघर जिनसे और जिनको मूल्य देय डाक भेजी जा सकती है:

मूल्य देय डाक सामग्री किसी भी डाकघर से जो कि मनीओर्डर कार्यालय हो, (कुछ अपवादों को छोड़कर) से ऐसे किसी भी डाकघर को प्रेषित की जा सकती है जो कि मनीआर्डर कार्यालय हो।

* स्पीड पोस्ट :

भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र (एनएसपीसी) से निर्मित है। प्रत्येक राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र 1 से जुड़े हुए कई वितरण डाकघर (पिनकोड) हैं जिनसे संबंधित एनएसपीसी शहर को स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूचे भारत में 986 स्पीड पोस्ट केन्द्र विद्यमान हैं। प्रत्येक राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र (एसएसपीसी) मूल राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र से जुड़ा हुआ है। जिसको यह एसएसपीसी अपना सभी बाहरी डाक आगे की छंटाई और प्रेषण के लिए भेज देता है। इसी प्रकार किसी राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र से जुड़े वितरण डाकघरों के माध्यम से भेजी जानेवाली स्पीड पोस्ट की सभी वस्तुएँ इसके मूल्य राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र के माध्यम से भेजी जाती हैं। एसएसपीसी शहर में स्पीड पोस्ट व वस्तुओं का वितरण उक्त एसएसपीसी से जुड़े हुए विभिन्न वितरण डाकघरों (पिनकोड) के माध्यम से किया जाता है।

* पंजीकरण

उद्देश्य : ग्राहकों की डाक वस्तुओं का सुरक्षित प्रेषण करना। उन सभी चरणों पर एक रेकार्ड रखा जाता है जहां-जहां से डाक वस्तु होकर जाती है। इस इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तुओं को विशेष सावधानी के साथ प्रेषित किया जाता है।

डाक वस्तुएँ जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है	निम्नलिखित के लिए पंजीकरण अनिवार्य है
1. पत्र	1. कोई भी पार्सल जिसका भार 4 किलोग्राम से अधिक है।
2. पत्र कार्ड	2. कोई भी बीमित डाक वस्तुर
3. पोस्टक कार्ड	3. ऐसा कोई भी पार्सल जिस पर ऐसे स्थान का पता लिखा हुआ है जिसके लिए सीमा-शुल्क घोषणा अपेक्षित है।
4. पुस्तक एवं पैटर्न पैकेट	4. ऐसी कोई डाक वस्तु जिसमें निजलिखित स्टेज्पे लेबल, चैक हुंडी, बैंक नोट, पैक पोस्ट बिल, बिल-आफ-एक्स चेंज शामिल हो।
5. अंध साहित्य पैकेट	5. कोई भी डाक वस्तु जिसके आवरण पर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ हो।
6. समाचार पत्र की दरों से पूर्व प्रदत्तर संदाय के पासलों और समाचार पत्रों को किसी भी डाकघर में पंजीकृत किया जा सकता है।	6. ऐसी कोई पंजीकृत डाक वस्तु। जिसको वितरित किए जाने के उपरांत दुबारा डाक से प्रेषित किया जाता है।
	7. कोई भी मूल्य देय डाक वस्तु

* भारतीय डाक - धन-प्रेषण सेवाएँ :

मनी ऑर्डर : यह डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घोलू धन अंतरण सेवा है। मनीऑर्डर के माध्यम से भेजा गए धन की सुपुर्दगी, प्राप्तकर्ता के द्वार पर की जाती है और यह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एकल मनीऑर्डर के माध्यम से भेजी जा सकनेवाली अधिकतम राशि 5,000/- रु. है। प्रेषक इस धनराशि का भुगतान नकद अथवा चेक के माध्यम से कर सकता है और सेवा प्रभार प्रेषित की जानेवाली धनराशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाएगा। धन-प्रेषक को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त होती है। मनीऑर्डर के साथ/लघु संदेश भेजने का भी प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर (ईएमओ) : इसका प्रारंभ 10-10-2008 को हुआ। ईएमओ प्रणाली का उद्देश्य त्वकरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सुनिश्चित करके मनीऑर्डरों के पारेषण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से पेषण में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है और धन का भुगतान बुकिंग के दिन ही कर दिया जाता है। मनीऑर्डर को और अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। ईएमओ की बुकिंग प्राधिकृत डाकघरों में की जा सकती है, परंतु इसका भुगतान देश के सभी वितरण डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। ईएमओ हेतु कमीशन की दर मनीऑर्डर के मामले में लागू कमीशन दर के समान ही है। भारतीय डाक की वेबसाईट के माध्यम से ईएमओ को ट्रैक किया जा सकता है।

तत्काल मनीओर्डर (आईएमओ) : भारतीय डाक, तत्काल मनीऑर्डर से सेवा प्रदान करता है जो बिल सुरक्षित, विश्वसनीय तता सुविधाजनक है। विनिर्दिष्ट आईएमओ डाकघरों के माध्यम से 1000/- रु. से 50,000/- रु. तक की राशि प्रेषित की जा सकती है। यह एक वेद-आधारित त्वरित धन अंतरण सेवा है। धन प्रेषक को एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है और वह एक वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है। मनीऑर्डर का कमीशन अंतरित की जानेवाली राशि पर आधारित होता है। प्रेषक को 33 मानक संदेशों में से एक के बचन का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाता है। धन प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता डाकघर जाकर निर्धारित फार्म भरकर अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत मत करना होता है। प्राप्त धनराशि को प्राप्तकर्ता के बचत बैंक खाते में भी जमा करवाया जा सकता है।

एम ओ विदेश : यह भारतीय डाक द्वारा अधिकतर विदेशी गंतव्य स्थूलों तक भेजी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धन-प्रेषण सेवा है। जावक धन-प्रेषण का भुगतान लाभार्थियों को गंतव्यध देशों में उनके बैंक खाते में किया जाता

है। एक धन-प्रेषण 5000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का नहीं होगा और एक वर्ष में अधिकतम 12 जावक धन-प्रेषण भेजे जा सकते हैं। यह सुविधा सभी कंम्प्यूटरीकृत डाकघरों में उपलब्ध है। एमओ विदेश के लिए कमीशन की मात्रा अंतरित की जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा : भारतीय डाक, वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के सहयोग से आवक अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा भी प्रदान करता है। यह सेवा सुरक्षित, त्वनरित और विश्वसनीय है। यह विदेशों से भारत में लाभार्थियों को निजी धन-प्रेषण अंतरित करने का त्वेरित और सरल माध्यम है। चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से 195 देशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। प्रेषक द्वारा धन प्रेषित करने के उपरांत प्राप्तकर्ता मिनटों में धन प्राप्त कर सकता है। एक बार में अधिकतम 2500 अमेरिकी डालर प्राप्त किए जा सकता हैं। किसी एक लाभार्थी द्वारा एक वर्ष में 12 धन-प्रेषण (ट्रांजेक्शन धन) प्राप्त किए जा सकते हैं। 50,000/- रु. तक की राशि नकद में और उससे अधिक धन राशि चेक के माध्यम से डाकघर से डकघर में बचत खातों में जमा की जा सकती है। प्राप्तकर्ता अपनी पहचान तथा आवास का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर (डब्यूकी यूएमटी) की प्राप्ति की सुविधा 7212 डाकघरों में तथा मनीग्राम की सुविधा 500 डाकघरों में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रोनिक क्लियरेंस स्कीम (ईसीएस) : ईसीएस योजना योक भुगतान, ब्याज/वेतन/पेंशन/लाभांश के भुगतान का विकल्पन प्रदान करती है। इस स्कीम की शुरुआत 9 अगस्त, 2003 को हुई। भारतीय डाक द्वारा ईसीएस का प्रयोग मासिक आय योजना के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के लिए किया जाता है। ईसीएस के अंतर्गत एमआईएस खातों के जमाकर्ताओं का मासिक ब्याज का भुगतान निर्धारित तिथि को उनकी पसंद के बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता है। फिलहाल यह सेवा डाक विभाग, आरबीआई के 15 कार्यालयों और एसबीआई के 21 कार्यालयों में उपलब्ध है।



संयुक्त धनादेश

प्रेषक बुकिंग डाकघर का नाम :

नाम :

उपनाम :

घर नं. / गली :

गाँव / जिला / शहर :

राज्य :

पिन कोड :

मोबाइल नं. :

प्राप्तकर्ता :

नाम :

उपनाम :

घर नं. / गली :

गाँव / जिला / शहर :

राज्य :

पिन कोड :

मोबाइल नं. :

राशि रु. में रु. शब्दो में

धनादेश प्रकार पर टिक कीजिए ।

1. ई-एम.ओ. (दिए गए पते पर डाकिया द्वारा राशि दे दी जाएगी)

संदेश कोड

2. मनी बोर्डर की राशि एम.ओ. कार्यालय से प्राप्त की जाएगी ।

खाता नं.

खाता धारक का नाम :

डाकघर का नाम :

संदेश कोड

3. मोबाइल के मोबाइल धनादेश

पहचान पत्र की फोटो प्रति संलग्न कीजिए ।

पहचान पत्र सं.

समाप्ति तारीख :

जारीकर्ता अधिकारी :

मुझे ज्ञात है कि प्रेषक को मोबाइल से मोबाइल मनी अंतरण कार्यालय में राशि प्राप्त करनी है तथा मैं उन्हें तदनुसार सूचित दूँगा ।

यदि भुगतान 21 दिन के अंदर प्राप्त कर्ता को मोबाइल से मोबाइल मनी ट्रांसफर नहीं हुआ तो विशेष प्रक्रिया के तहत भुगतान होगा ।

प्रेषक के हस्ताक्षर तिथि सहित

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

प्राप्त राशि

सेवा प्रभार

धनादेश सं.

इ.एम.ओ.

आई.एम.ओ.

एम टू एम एम ओ

बैंकिंग का समय और तारीख

द्वारा प्राधिकृत

काउंटर लिपिक

सीपीएस/एसपीएम/डीपीएम/एपीएम

अब्लांग मुहर

ग्रीटिंग पोस्ट :

नया उत्पाद : ग्रीटिंग पोस्ट अर्थात् भारतीय डाक की ओर से प्रस्तुत मनभावन ग्रीटिंग कार्डों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कार्ड आपको पूर्व भुगतान वाले लिफाफों के साथ ही प्राप्त होते हैं और इस प्रकार आपको डाक-टिकट चिपकाने की जरूरत नहीं रहती। यह एक अनूठा प्रयोग है, जो भारत में पहली बार हो रहा है। सबसे आकर्षक बात यह है कि लिफाफों पर चिपकाए गए डाक-टिकट, अंदर मौजूद कार्ड की हूबहू प्रतिकृति होते हैं।

ग्रीटिंग पोस्ट के फायदे : ये कार्ड आपको केवल सहूलियत ही प्रदान नहीं करते, बल्कि इनके कई और लाभ भी हैं। ग्रीटिंग पोस्ट के माध्यम से आप हर अवसर, पर्व तथा उपलक्ष्य में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। इनके सुंदर डिजाइनों और मनभावन रंगों में प्रतिबिंबित भावनात्मक गरमाहट हरेक के मन को छू जाती है। इन कार्डों को पाकर निसंदेह हरेक वैयक्तिक प्रफुल्लित हो जाता है।

कहां से प्राप्त करें : इन कार्डों का विक्रय ग्रीटिंग कार्डों के निजी वितरकों और स्टेशनरी की दुकानों

के माध्यम से किया जा रहा है। इन कार्डों और उत्कीकर्ण/(एम्बोस्ड) डाक-टिकटों से युक्तलिफाफों को एक साथ ही बेचा जाएगा। ग्रीटिंग कार्ड सभी प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध हैं।

विशेषताएँ : ग्रीटिंग पोस्ट, भारतीय डाक और नवीन उत्पादक है। इसके अंतर्गत एक लिफाफा और एक कार्ड शामिल है। इस लिफाफे पर 5 से.मी. ... 4 से.मी. 3 से.मी. आकार तथा 5/- रु. के मूल्यवर्ग के अंकन के साथ एक बहुरंगा एम्बोस्डे डाक-टिकट (जो एक कार्ड पर अंकित डिजाइन का लघु रूप है) लगा होगा। इसलिए आपको इस तिफाफे पर डाक-टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार डाकघर जाने और लाइन में खड़े रहने में लगने वाले आपके समय की बचत होगी। ग्रीटिंग कार्ड पर ठीक पिछली तरफ ज़्लैप पर धूसर नीले रंग में एक गोलाकार डाक-टिकट मुद्रित है। डाक प्रशुल्क के बारे में सभी नियम ग्रीटिंग पोस्ट पर लागू होंगे। मौजूदा नियमों के अनुसार 5/- रु. मूल्य के डाक प्रशुल्क के आधार पर प्रेषक 20 ग्राम वजन तक की डाक-वस्तु को देशभर में कही भी भेज सकता है। यही नियम ग्रीटिंग पोस्टर के लिए भी लागू होगा।

पिनकोड :

डाक इंडेक्सर संज्ञा (पिन) अथवा पिनकोड डाकघर का 6 अंकों का कोड है जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। पिन को 15 अगस्त 1972 में लागू किया गया था। समूचे देश में 9 पिन क्षेत्र हैं। शुरू के 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं तता 9वां अंक सेना डाक सेवा के लिए आरक्षित है। प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रथम 2 अंक साथ-साथ उपक्षेत्र अथवा उनमें से एक डाक सर्विस को दिखाता है। प्रथम 3 अंक साथ-साथ छटाई/राजस्व जिला को प्रदर्शित करता है। अंतिम 3 अंक वितरण डाकघर को प्रदर्शित करता है।

पिन का प्रथम निर्धानुसार प्रदर्शित करता है:

प्रथम अंक	क्षेत्र	कवर किए गए राज्य
1. उत्तरी	दिल्लीए, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व एवं कश्मीर	
2. उत्तरी	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड	
3. पश्चिमी	राजस्थान तथा गुजरात	
4. पश्चिमी	महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़	
5. दक्षिणी	आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक	
6. दक्षिणी	केरल तथा तमिलनाडु	
7. पूर्व	पश्चिम बंगाल ओडिशा तथा पूर्वोत्तर	
8. पूर्व	बिहार तथा झारखण्ड	
9. सेना डाक सेवा (एपीएस)	सेना डाक सेवा	

पिन कोड के प्रथम 2 अंक निज्ञानुसार दर्शाते हैं :

पिन कोड के प्रथम 2 अंक सर्किल

11 दिल्ली

12 एवं 13	हरियाणा
14 से 16	पंजाब
17	हिमालय प्रदेश
18 से 19	जम्मू एवं कश्मीर
20 से 28	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल
30 से 34	राजस्थान
36 से 39	गुजरात
40 से 44	महाराष्ट्र
45 से 49	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

स्वाध्याय

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए :

- (1) डाकघर किसे कहते हैं ?
- (2) पोस्टकार्ड क्या होता है ?
- (3) अंतर्देशीय पत्र किसे कहते हैं ?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में दीजिए :

- (1) स्पीड पोस्ट क्या होती है ?
- (2) मनीओर्डर किसे कहते हैं ?
- (3) भारतीय पोस्टल आर्डर क्या होता है ?

विद्यार्थी-प्रवृत्ति: पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, टिकटे आदि का एक संकलनपत्र तैयार करें।

शिक्षक-प्रवृत्ति : विद्यार्थियों को डाकघर के विविध कार्यों की जानकारी दे तता डाकघर से संबंधित विभिन्न सेवाओं के बारे में बताएँ।

